vinetur

मोरक्को की संसदीय समिति ने 2027 के बजट विधेयक में बीयर पर 30% उत्पाद शुल्क का समर्थन किया

प्रस्ताव के तहत बीयर पर न्यूनतम शुल्क 1,705 दिरहम प्रति हेक्टोलिटर होगा ; विधेयक पर संसद की प्रक्रिया अभी बाकी है

शनिवार, 14 नवंबर 2026



मोरक्को अपने 2027 के बजट विधेयक के तहत बीयर पर कर लगाने के तरीके में बदलाव के एक कदम और करीब पहुंच गया है। संसदीय समिति ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत बीयर पर 30% मूल्य-आधारित उत्पाद शुल्क लगेगा और न्यूनतम शुल्क 1,705 दिरहम प्रति हेक्टोलिटर होगा।

SNRT News के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा की वित्त एवं आर्थिक विकास समिति ने गुरुवार, 12 नवंबर को वित्त विधेयक संख्या 60.26 के मसौदे के पहले भाग को मंजूरी दी। इस दौरान 290 संशोधनों की समीक्षा की गई, जिनका मुख्य जोर सीमा शुल्क और कर उपायों पर था। प्रस्ताव के पक्ष में 23 और विरोध में 17 वोट पड़े।

बीयर से जुड़ा यह प्रावधान मोरक्को की घरेलू उपभोग कर व्यवस्था में व्यापक संशोधन का हिस्सा है। समिति द्वारा मंजूर मसौदे के तहत वाइन और बीयर, दोनों पर मूल्य के आधार पर 30% कर लगेगा, जबकि शराब की कुछ श्रेणियों पर 50% की दर लागू होगी। विधेयक में वाइन के लिए 1,265 दिरहम प्रति हेक्टोलिटर, बीयर के लिए 1,705 दिरहम प्रति हेक्टोलिटर और शुद्ध अल्कोहल के लिए 33,150 दिरहम प्रति हेक्टोलिटर की न्यूनतम वसूली सीमा भी तय की गई है।

यह प्रस्ताव इसलिए अहम है क्योंकि इससे केवल वसूली जाने वाली राशि ही नहीं, बल्कि बीयर पर कर लगाने का आधार भी बदल जाएगा। यदि यह उपाय कानून बनता है, तो इसका असर पेय उद्योग में खुदरा कीमतों, उत्पादकों और आयातकों के मार्जिन तथा व्यावसायिक योजना पर पड़ सकता है। ब्रुअरी, वितरकों और आयातकों के लिए उत्पाद के मूल्य से जुड़ा कर अलग-अलग मूल्य श्रेणियों पर अलग असर डाल सकता है, जिसमें प्रीमियम और आयातित ब्रांड भी शामिल हैं।

समिति की मंजूरी से यह उपाय अंतिम रूप नहीं लेता। उसने वित्त विधेयक के केवल पहले भाग को मंजूरी दी है ; लागू होने से पहले विधेयक को बाकी विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

SNRT News ने बताया कि संशोधनों का मकसद राज्य का अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ कुछ पेशेवर और आर्थिक समूहों पर कर का बोझ कम करना भी था। मादक पेयों के मामले में सरकार इस व्यापक प्रयास के तहत उत्पाद शुल्क का दायरा बढ़ाने और उसे अद्यतन करने की कोशिश कर रही है।

इसी मसौदा विधेयक में पेय पदार्थों से जुड़े अन्य कर बदलाव भी शामिल हैं। इसमें फास्ट-फूड रेस्तरां के स्वचालित डिस्पेंसर में इस्तेमाल होने वाले पेय और कन्सन्ट्रेट पर घरेलू उपभोग कर लगाने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन उत्पादों को छूने हुए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर शीतल पेय बनाए जाते हैं। इसका घोषित उद्देश्य उस स्थिति से निपटना है जिसमें ऐसे इनपुट का इस्तेमाल कार्बोनेटेड पेय बनाने के लिए किया गया, लेकिन घरेलू उपभोग कर का भुगतान नहीं किया गया—न तो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हुए कन्सन्ट्रेट और पेय पर, न ही तैयार उत्पादों पर।

विधेयक में ई-सिगरेट पर उत्पाद शुल्क का दायरा भी बढ़ाया गया है। यह अलग उपाय है, जिसे सांसदों ने कर आधार विस्तृत करने के प्रयासों का हिस्सा बताया। SNRT News द्वारा उद्धृत संशोधन के तहत, कर सभी श्रेणियों की ई-सिगरेट पर लागू होगा—चाहे वे रिचार्जेबल हों या नहीं—और संबंधित उपकरणों, पुर्जों तथा घटकों पर भी। प्रभावित उत्पादों के लिए शुल्क 50 दिरहम से बढ़ाकर 100 दिरहम प्रति इकाई किया जाएगा।

पेय पदार्थों के अलावा, समिति ने कर और सीमा शुल्क उपायों के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। इनमें स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों की कर व्यवस्था में बदलाव शामिल है। स्रोत पर कर कटौती के लिए इस्तेमाल होने वाली वार्षिक कारोबार सीमा 80,000 दिरहम से बढ़ाकर 100,000 दिरहम की जाएगी और कटौती की दर 30% से घटाकर 20% की जाएगी। मसौदे में हाइड्रोकार्बन उत्पादों का आयात या वितरण करने वाली और कम से कम 100 मिलियन दिरहम का वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज करने वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर 35% से बढ़ाकर 40% करने का भी प्रस्ताव है।

बजट विधेयक में लग्जरी कारों के पहले पंजीकरण पर संशोधित स्टाम्प शुल्क का भी प्रस्ताव है। वाहन के मूल्य के आधार पर 5%, 12%, 18% और 25% की क्रमिक दरें लागू होंगी। SNRT News के मुताबिक, इस उपाय से 1.045 अरब दिरहम का वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद है।

व्यापार और आयात के मोर्चे पर, मसौदे में नए व्यापारियों या ऐसे व्यापारियों द्वारा पुनर्विक्रय के लिए आयात किए गए सामान के सीमा शुल्क मूल्य पर 5% अग्रिम भुगतान लागू करने का प्रस्ताव है, जिनकी कर स्थिति नियमित नहीं है।

समिति की चर्चा में खाद्य आयात और व्यापक आर्थिक नीति भी शामिल रही। विधेयक में जीवित पशुओं, मांस और ऑफल की कुछ श्रेणियों पर आयात शुल्क, करों और अन्य प्रभारों से छूट का प्रावधान है। यह कदम कई वर्षों के सूखे के बाद राष्ट्रीय पशुधन पर पड़े दबाव और घरेलू लाल मांस उत्पादन पर उसके असर से जुड़ा है। इसमें 2030 विश्व कप के

संबंध में FIFA, उससे संबद्ध संस्थाओं या उनकी ओर से किए जाने वाले आयात के लिए अस्थायी सीमा शुल्क छूट भी शामिल है। यह छूट 1 जनवरी, 2027 से 31 दिसंबर, 2032 तक की अवधि के लिए होगी।

हालांकि, पेय क्षेत्र की नजर बीयर, वाइन और अन्य शराब पर प्रस्तावित उत्पाद शुल्क बदलावों पर सबसे अधिक रहने की संभावना है। मसौदे से संकेत मिलता है कि मोरक्को के अधिकारी केवल राजस्व बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की गणना का तरीका भी बदल रहे हैं। यदि इसे मौजूदा रूप में लागू किया गया, तो बीयर पर नया कर बाजार में काम कर रही कंपनियों के मूल्य निर्धारण संबंधी फैसलों, पोर्टफोलियो रणनीति और आपूर्ति योजना का एक अहम कारक बन जाएगा।

SNRT News ने बताया कि समिति ने मूल मसौदे का एक प्रावधान भी हटा दिया और रेत की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर से छूट का प्रस्ताव वापस ले लिया। लेकिन गुरुवार, 12 नवंबर को मंजूर मुख्य कर पैकेज से जाहिर है कि 2027 के बजट पर चर्चा में शराब और अन्य पेय पदार्थों समेत कई उद्योगों के लिए कर उपायों में व्यापक बदलाव केंद्र में हैं।

फिलहाल, बीयर से जुड़ा उपाय बजट विधेयक का एक प्रस्ताव भर है। लेकिन समिति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह मसौदा विचार से आगे बढ़कर मोरक्को की 2027 की कर योजना में औपचारिक विधायी कदम बन गया है।